# न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
# जिला चित्तौडगढ

**पीठासीन अधिकारी विनोद कुमार (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या/3/2021 दायर दिनांक 12.01.2021

उनवान

1. पुष्कर लाल पिता बद्री लाल जाट आयु वयस्क निवासी जाखड़खेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
2. बद्री लाल पिता रतन जाट आयु वयस्क निवासी जाखड़खेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

प्रार्थीगण।

बनाम

1. रतन लाल पिता मोती जाति जाट आयु वयस्क निवासी जाखड़खेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
2. तहसीलदार कपासन ।

अप्रार्थीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांकः 26.03.2021

## –:निर्णयः–

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा जाखड़खेड़ा पटवार हल्का रोलिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की हल्के बैरूनी में आराजी संख्या 307 कुल किता 1 कुल रकबा 0.0400 हैक्ट0 , अप्रार्थी संख्या 1 का 1/60 हिस्सा है। तथा जाखड़खेड़ा में आराजी नम्बर 161, 162, 179, 181, 192, 275, 298, 299, 300, 328/178 कुल किता 10 रकबा 2.18 है0 में भी 1/4 हिस्सा है आराजी नम्बर 188, 30, 33 कुल किता 3 रकबा 0.4200 है0 जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 का 1/8 हिस्सा है आराजी नम्बर 160, 309/23, 38, 45 कुल खसरे 4 रकबा 1.3800 है0 है [illegible] प्रार्थी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा है जाखड़खेड़ा की खाता संख्या 39 आराजी नम्बर [illegible] रकबा 0.7600 है0 जो भी अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज है तथा ग्राम दाता की आराजी नम्बर 1193, 1194, [illegible]/1193 जिसमें अप्रार्थी का 1/8 हिस्सा है सभी आराजीयात संयुक्त है बिना विभाजन कराये अन्य को विक्रय न करें।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2021.07.27 15:47:09 IST
Reason: SelfAttested

यह कि मेरे परिवार का सजरा निम्न प्रकार है :–

रतनलाल

↓

बद्रीलाल

↓

पुष्कर

मैं रतन लाल का एक मात्र पोता हूँ मेरा दादा की जमीन में हिस्सा निहित है मेरे पिता का भी हिस्सा है।

यह कि अप्रार्थी संख्या 1 अपने हिस्से को अकेले अपने नाम पर दर्ज खाता संख्या 39 आराजी नम्बर 1 जमीन को अन्य को बेचने पर उतारू है जबकि आराजीयात मौरूसी है मेरा एवं मेरे पुत्र का हिस्सा निहित है अप्रार्थी संख्या 1 के एक पुत्र है और एक ही पोता है पोते का दादा की जमीन में जन्मजात हिस्सा निहित है।

यह कि अप्रार्थी संख्या 1 अपने हिस्से को तथा खाता संख्या 39 की आराजी नम्बर 1 जो अप्रार्थी संख्या 1 अकेले के नाम पर दर्ज है जिसको दिनांक 5/1/2021 को अन्य को बेचने की धमकी दी जिससे अप्रार्थी संख्या 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वो आराजीयात को रहन बह विक्रय न करें।

यह कि अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी संख्या 1 का दादा है जिससे प्रार्थीगण का हिस्सा निहित है जिससे प्रथम दृष्टया मामला वादीगण के पक्ष में है प्रतिप्रार्थी जईफ उम्र का है भोला स्वभाव का है जिससे अप्रार्थी संख्या 1 अपने हिस्से को न बेंचे और विक्रय कर देगा तो हम प्रार्थीगण को अपार क्षति होगी जिसका मुल्यांकन नही किया जा सकेगा सुविधा सन्तुलन भी वादीगण के पक्ष में है।

अतः निवेदन है कि मौजा जाखड़खेड़ा की आराजी नम्बर 307, 161, 162, 179, 181, 192, 275, 298, 299, 300, 328/178, 188, 30, 33, 160, 309/23, 38, 45 व खाता संख्या 39 की आराजी नम्बर 1 व [illegible] की आराजी नम्बर 1193, 1194, 1865/1193 को अन्य को रहन बह विक्रय न [illegible] करे न अन्य से करावें इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2021.07.27 15:47:09 IST
Reason: SelfAttested

हमने प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी संख्या 1 को जरिये सम्मन तलब किया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री गोपाल दाधिच हाजिर। हाजिर होकर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जो निम्नानुसार है–

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 2 उल्लिखित आराजीयात होना स्वीकार है, शेष कथन गलत है, स्वीकार नहीं, दर्ज हिस्सा कुलिया व हिस्सा आराजीयात राजस्व रेकार्ड अनुसार जवाब देहन्दा की निजी खातेदारी व काश्त की है। प्रार्थीगण का हक, कब्जा नहीं है। मुन्तकील करने का जवाब देहन्दा को पुरा अधिकार है। खातेदार के खिलाफ इस आशय की वाद में बिना दाद खातेदारी घोषणा स्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती जवाब देहन्दा खातेदार काश्तकार है।

यह कि प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 3 में उल्लेखित कुलिया कथन में जवाब देहन्दा का पुत्र बद्रीलाल , पौता पुष्कर होना स्वीकार है। रतनलाल के पुत्रियां प्रेमी व सीता भी है जो जिन्दा है जिन्हे पक्षकार नहीं बनाया है इसलिये प्रार्थनापत्र कानुनन काबील खारीज है।

यह कि प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 4 कुलिया उल्लेखित कथन स्वीकार नहीं है। आराजीयात जैरबहस हिस्सा जवाब देहन्दा को मुन्तकील करने का पुरा हक है और घर गृहस्थी चलाने व पारिवारिक जिम्मेदारियां खर्चे उठाने व बीमारी में ईलाज से काफी खर्चा कर्जा हो गया इसलिये आवश्यक जरूरीयात के कारण हिस्सा आराजीयात को मुन्तकील करने व रहन रखने की हर हाल जरूरत है जिसे किसी प्रकार से रोकने पर वृद्ध जवाबदार और कर्जदार होगा। प्रार्थीगण अप्रार्थी जवाब देहन्दा बाप की सेवा नहीं कर रहें हैं प्रार्थीगण झगडालू किश्म के आदमी है जिनसे वृद्ध जवाब देहन्दा व उसकी पत्नी को जान का भारी खतरा बना हुआ है प्रार्थीगण का कोई हिस्सा नहीं है प्रार्थीगण पिता व पौता जवाब देहन्दा दादा व उसकी पत्नी दादी को इस बुढापे में गन्दी गन्दी गालियां निकालते है मारपीट करते है झूठा आरोप लगाते है कि शराब पीते है जबकि जवाब देहन्दा वृद्ध होकर 72 साल बुढ़ा आदमी है और चेतनदास जी महाराज का शिष्य है शाकाहारी है जीवन में लहसुन व प्याज नहीं खाये झूठी अफवाह फैला बुढापे में ईज्जत बिगाड रहे है, न कभी शराब पी, न ही छुआ है गुरू शिष्य परम्परा में गुरू की तुलसी कण्ठी पहन रखी है। किसी प्रकार से कोई आचरण गलत नहीं है। प्रार्थीगण बाप व बेटे ने दुर्भिसन्धि कर रखी है फर्ज [illegible] नही कर रहे है बुढापे में जवाब देहन्दा की सेवा चाकरी व खाना [illegible] दे रहे है जो उपज होती है उसे भी उठा ले जाते है और हडप जाते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2021.07.27 15:47:09 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

यह कि प्रार्थनापत्र की कॉलम संख्या 5 उल्लेखित कथन गलत होने से स्वीकार नहीं जवाब उपरांकित है। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से जवाब देहन्दा को भारी नुकसान है प्रार्थीगण को हाथों में पाला– पोसा, बडा किया, शादी–विवाह करायें और

सारी जिम्मेदारियां निभाई कर्जा हो गया। आर्थिक हालात खराब हो गये और अब प्रार्थीगण जवाब देहन्दा की सारी आराजीयात हडपना चाह रहे है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज फरमावें।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थना पत्र में अंकित आराजीयात बेचान करने पर आमदा है प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 1 के वारिसान है व मौरूसी आराजीयात होने से हक हिस्सा निहित है अतः अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान कराने की कृपा करावें। वकील अप्रार्थी व अप्रार्थी ने दौराने बहस निवेदन किया कि अप्रार्थी बुजुर्ग है जिसकी प्रार्थीगण कोई सेवा चाकरी नहीं करते है अप्रार्थी उपरोक्तानुसार आराजीयात को बेचान करने पर आमदा नहीं है, साथ ही आराजीयात मौरूसी होने संबंधी कोई दस्तावेज भी प्रार्थीगण ने प्रस्तुत नहीं किया है, अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। संलग्न दस्तावेजात पर अवलोकन किया। अप्रार्थी संख्या 1 खातेदार काश्तकार है जिसे अपनी आराजीयात उपयोग उपभोग से वंचित नहीं किया जा सकता है, साथ ही प्रार्थी ने ऐसे कोई तथ्य व साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है जिसमें आराजीयात खुर्द बुर्द होने की संभावना है अतः प्रथम दृष्टया मामला व अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नहीं होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है, पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, मूल वाद 7/2021 के साथ संलग्न रहे। आदेश सुनाया गया।

(विनोद कुमार)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन

Signature Not Verified

Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2021.07.27 15:47:09 IST
Reason: SelfAttested